

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया गया है (हां या नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ, निरीक्षण नोट संलग्न है।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग- ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	हाँ
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	कार्य की महत्ता के दृष्टिगत सहमति व्यक्त की जाती है।

तिथि:— 30.04.2017

स्थान:— कानपुर

15-4-2017
(के0 आर0 यादव)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

निरीक्षण नोट

दिनांक 30.04.2017 को पुखरायों-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस0एच0-46) कि0मी0 00.00



से 54.00 तक का निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित परियोजना में उक्त चार-लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित है। इस परियोजना में कानपुर देहात वन प्रभाग की 20.631 हे0 संरक्षित वन भूमि (कि0मी0 00.00 से 21.00 तक) एवं कानपुर नगर वन प्रभाग की 29.586 हे0 संरक्षित वन भूमि (कि0मी0 22.00 से 54.00 तक) प्रभावित

होगी। उक्त परियोजना से इस क्षेत्र की याता-यात व्यवस्था सुदृढ़ एवं सुगम होगी। कार्य की महत्ता के दृष्टिगत उक्त भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

तिथि:— 30.04.2017

स्थान:— कानपुर

15.4.2017
(के0 आर0 यादव)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर